

प्रेषक,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
जी0डी0 गोयनका स्कूल  
हरदत्तपुर, वाराणसी।

पत्रांक/मान्यता/ २७५९८९९ / 2019-2020 दिनांक : २७ मार्च, 2020

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31-12-2019 के आवेदन और इस रामबन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं जी0डी0 गोयनका स्कूल, हरदत्तपुर, वाराणसी को तारीख 01-04-2020 से तारीख 31-03-2021 तक एक वर्ष की अवधि तक के **लिये कक्षा-6 से कक्षा-8** तक के लिये अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपबन्ध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी ऊर्जानिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सवूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
  - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
  - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हतायें अर्जित करेंगे।
  - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
  - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

(क्रमांक: 2)



Scanned with OKEN Scanner

( 2 )

- 3- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुकियाएँ निम्नानुसार हैं-
- विद्यालय परिसर का होत्रफल - 05 एकड़
  - कुल निर्मित होत्र - 04 एकड़
  - क्रीड़ास्थल का होत्रफल - पर्याप्त है।
  - कक्षाओं की संख्या - 09
  - प्राच्यापाक-साह कार्यालय-साह भण्डागार के लिये कक्षा - 01
  - बालक और बालिकाओं के लिये पृथक् शौचालय - उपलब्ध है।
  - पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।
  - भिड-डे-मील पाकाने के लिये रसोई -
  - बाधा रहित पहुँच - उपलब्ध है।
  - आयापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद संपर्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता - है
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के माम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी तोक न्यास द्वारा चलाया जा सकता है।
- 12- रकूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के साथ ले लिये नहीं चलाया जा सकता है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टेड एकाउन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार दीयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वार्षिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवृत्ति मान्यता कोड सख्ताक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस सख्ताक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे झुटेशौ का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सातत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किया जाय।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- विद्यालय प्रदन्तत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अनिवार्य चुटिपूर्ण, फली एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल घाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जाएगी। जिसका सम्पूर्ण पिछल उत्तरदायित्व विद्यालय प्रदन्तत्र का होगा।

भवदीय

(राकेश सिंह)  
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
दारानगरी।  
उसी तिथि को।

प्राप्ति: / मान्यता / / 2019-2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक), पंचम मण्डल, बाराणसी।
- 2- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र बाराणसी।

(राकेश सिंह)  
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
दारानगरी।